राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

26 APR 2019

(ग्रामीण विकास, अनुभाग–1)

एफ 27(252)ग्राविवि / ग्रुप–5 / एसओपी / पार्ट–2 / 22015–16 जयपुर, दि. 26 अप्रैल, 2019

1. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
   जिला परिषद समस्त।
2. **अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
   जिला परिषद समस्त।

विषय :– **निर्माण कार्यो के मूल्यांकन जांच एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्थाई आदेश संख्या 36 / 2018 दिनांक 27.03.2018 की पालना के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्र कमांक एफ 27 (201) ग्राविवि / ग्रुप–5 / जीकेएन / सरपंच संघ ज्ञापन / 2015–16 दिनांक 12.6.18

विषयान्तर्गत लेख है कि निर्माण कार्यो के मूल्यांकन जांच एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु वित्त विभाग की आई डी संख्या 101801752 दिनांक 26.3.18 द्वारा विभाग को प्राप्त राय अनुसार "संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों को कोई वित्तीय शक्तियां प्रदान नहीं की जावे" की पालना में जारी प्रासंगिक विभागीय स्थाई आदेश संख्या 36 / 2018 दिनांक 27.03.2018 एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा तकनीकी अधिकारियों को संशोधित / नवीनतम प्रदत्त शक्तियों के कम में निर्देश जारी किये गये है।

अतः उक्त संबंध में कार्यो का मूल्यांकन, उपयोगिता प्रमाण – पत्र एवं पूर्णता प्रमाण – पत्र जारी कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे –

1. विभागीय परिपत्र दिनांक 17.9.2014 द्वारा जारी शिड्यूल ऑफ पावर्स में संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) को मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण – पत्र जारी करना आदि किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदत नही होगी।
2. विभागीय परिपत्र दिनांक 17.09.14 द्वारा जारी शिड्यूल ऑफ पावर्स में संविदा पर कार्यरत जेटीए / एसटीए परिशिष्ट–3 में प्रदत्त सीमा राशि तक की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए यथावत अधिकृत होंगे।
3. महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) विभागीय अभियंताओ (JEn/AEn/XEn/SE) के मार्गदर्शन में यथावत कार्यो के तकनीकी पर्यवेक्षण कर सकेंगे।
   उक्त संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) विभागीय अभियंताओ (JEn/AEn/XEn/SE) के मार्गदर्शन में कार्यो की माप (Record Entry) संबंधित मापपुस्तिका में दर्ज कर सकेंगे, लेकिन कार्यो का मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण – पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) को मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण – पत्र जारी करना आदि किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदत नही करते हुये, कार्यो का मूल्यांकन, उपयोगिता प्रमाण – पत्र एवं पूर्णता प्रमाण – पत्र सक्षम विभागीय अभियंताओ (JEn/AEn/XEn/SE) के द्वारा ही जारी कराया जाना सुनिश्चित करावे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

D:\kamal\1 letter 2019.docx

एफ 7(1)ग्राविवि/ग्रुप–1/2019.04.09 जयपुर, दि. २८ अप्रेल, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
7. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), समस्त, राजस्थान।
8. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभियांत्रिकी/जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग, जि. प. समस्त राजस्थान।
9. विकास अधिकारी, पं. स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक एवं प्रत्येक सहायक/कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावे।

26/4/19

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा), ग्रा.वि.